IMPACT FACTOR 5.473(SJIF)
UPA NATIONAL E-JOURNAL
Interdisciplinary Peer-Reviewed IndexedJournal
ISSN 2455-4375

गलिच्छ बस्ती में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएँ

डॉ. आर.एन. साखरे
जगत महाविद्यालय गोरेगांव
जि. गोंदिया

५.२.(१) जल :

जल ही जीवन है। जल के बीना मानव जीवन किसी भी क्षेत्र में संभव नही है। भारतीय मानस के आधार प्रति व्यक्ति प्रति दिन १३५ लीटर पाणी की आवश्यकता होती है यह पानी की मात्रा शहरी जीवन स्तर के आधार मात्रा बढ़ते जाती है। सर्वेक्षित ४३ गलिच्छ बस्तियों में मात्र ३५ गलिच्छ बस्तियों में महानगर पालिका (म.न.पा.) द्वारा शुद्ध पेय जल सुविधा प्रदान की गयी है इस शुद्ध पेय जल के अतिरिक्त म.न.पा. द्वारा कुएँ एंव नलकूप की भी सुविधाएँ इन बस्तियों में की गयी है जो निम्न सारणी में है।

नागपूर शहर : गलिच्छ बस्तियों में म.न.पा. द्वारा पेय जल सुविधा

तालिका क्र. : ५.१

क्षेत्र	सर्वेक्षित बस्ती	म.न.पा. जल	कुएँ	नलकूप
पूर्व	१०	१००.००	—	—
पश्चिम	११	६३.६४	१८.१८	१८.१८
उत्तर	१२	६६.६८	१६.६६	१६.६६
दक्षिण	०६	१००.००	—	—
मध्य	०४	१००.००	—	—
कुल/समग्र	४३	८१.३९	९.३०	९.३०

(आकडे प्रतिशत मे) (स्त्रोत : लेखक द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है की शहर के ८१.३९ प्रतिशत बस्तियों में म.न.पा. द्वारा पेयजल सुविधा है; ९.३० प्रतिशत बस्तियों में कुएँ की सुविधा तथा ९.३० प्रतिशत बस्तियों में नलकूप सुविधा प्रदान है। विभागीय क्षेत्र की ओर ध्यान दे तो पूर्व, दक्षिण एंव मध्य नागपूर की संपूर्ण बस्तियों में पेयजल शत प्रतिशत सुविधा उपलब्ध है। पश्चिम में ६३.६४ प्रतिशत बस्तियों में तथा उत्तर में ६६.६८ प्रतिशत बस्तियों में पेयजल सुविधा है। जिन बस्तियों में पेयजल नल की सुविधा उपलब्ध नही वही अर्थात पश्चिम एंव उत्तर नागपूर में कुएँ की सुविधा क्रमशः १८.१८ तथा १६.६६ प्रतिशत बस्तियों में स्थित है। जिन बस्तियों में नल तथा कुएँ नही ऐसी बस्तियों में नलकूप सुविधा पश्चिम एंव उत्तर में क्रमशः १८.१८ तथा १६.६६ प्रतिशत बस्तियों में स्थित है।

वर्तमान में नागपूर महानगर पालिका का पूर्ववत रूप नागपूर नगर परिषद था ऐसे में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकिकरण विभाग द्वारा पेय जल सुविधा प्रदान किया जाता था। पहले पेय जल स्त्रोत मुख्य रुप से कुएँ थे। हम कह सकते है की नागपूर शहर में पेय जल केवल कुएँ से ही प्राप्त था, जैसे–जैसे शहरी विकास

हुआ, जनसंख्या में बढ़ोत्तरी हुई, आधुनिक तंत्रज्ञान प्रचलित हुआ, नई गलिच्छ बस्तियाँ बढ़ी, पुरानी गलिच्छ बस्तियों का विस्तार हूआ जिससे पेय जल की मांग बढ़ते गयी जिससे शुद्ध पानी नलिका द्वारा सुविधा एंव वर्तमान में नलकूप की सुविधा म.न.पा. द्वारा इन गलिच्छ बस्तियों में प्रदान की गयी।

आलेख क. 5.1 नागपूर शहर : विभागीय गलिच्छ बस्तियों में पेयजल सुविधा

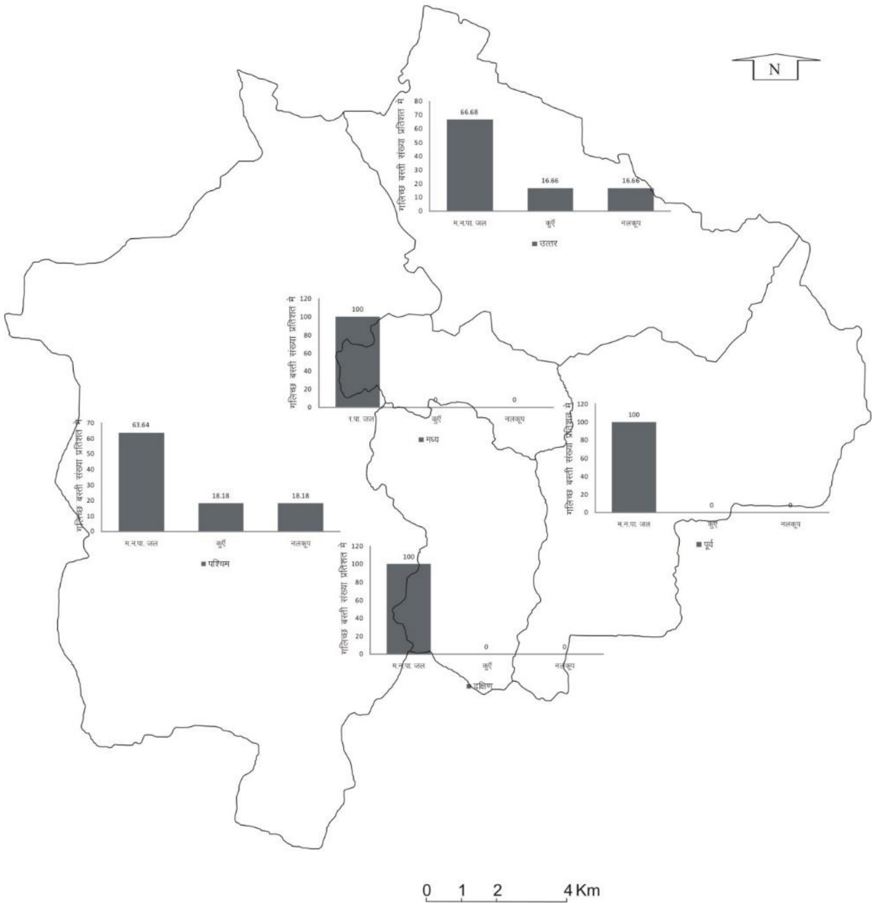

इससे स्पष्ट है की प्राचिनतम गलिच्छ बस्तियों में (मान्यता प्राप्त) ही कुएँ द्वारा पेय जल सुविधा प्रदान है। बस्तियों का विस्तार होने से नल पर अधिभार होता, इन स्थानिय मांगो को मध्य नजर रखते नलकूप की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गयी है।

केवल नलकूप की सुविधा जहॉ है अर्थात नवनिर्मित बस्ती ही है इन ४३ सर्वेक्षित गलिच्छ बस्तियों में पश्चिम नागपूर में इंदिरा नगर, राजीव गांधी नगर एंव उत्तर नागपूर में वैशाली नगर में आज भी कोई पेय जल सुविधा नही है।

क्या पानी की मात्रा इन गलिच्छ बस्तियों में पर्याप्त मात्रा में है? नल से नियमित रुप से पानी आता है? और पर्याप्त समय तक रहता है? ग्रीष्मकाल में इन कुए का जल स्तर पर्याप्त बना रहता है? वर्तमान में सभी नलकूप कार्यरत है ? नलकूप का पानी पीने योग्य है ? इन्ही प्रश्नो के आधार हमें ग्रीष्मकाल में इन बस्तियों की महिलाएँ गुंण्डी लेकर अन्य बस्तियों में क्यो भटकती है? क्यो अकसर सार्वजनिक नल पर महिलाओ का झगडा होता है? जो आगे बढ़कर पुरुषो तक तो कभी हत्या स्वरुप धारण करता है ऐसी कोई बस्ती नही बची है जहॉ के सार्वजनिक नलो पर महिलाओ का झगड़ा नही हूआ हो।

५.२.(२) सफाई : निरुपयोगी वस्तू को हम कूडा कहते है, तथा इस कूडे को एकत्रिकरण कर बस्ती से सूरक्षित अंतर पर फेकने को हम सार्वजनिक सफाई कहेंगे अथवा बस्ती में स्थित घरो में नित्यप्योगी वस्तू जैसे– कागज, कपडा, सब्जी, पन्नी तथा अन्य पदार्थ जिसका पुनः उपयोग न हो ऐसे पदार्थ जो कुछ कालावधी में सडकर बदबू एंव बिमारीया फैलाते है, ऐसे पदार्थो का एकत्रिकरण कर शहर से दूर फेकना जिसका दुष्यपरिणाम मानव जाति पर न हो इसे हम सफाई कहते है।

गलिच्छ बस्ती के बाहरी ओर एक कटघरा बना होता है जिसे कुडा–दान कहते, इन कुडे–दान का रुप भिन्न–भिन्न स्वरुपो में रहा जैसे घर निर्मिती के लिये आवश्यक मिट्टी हम आस–पडोस में स्थित खाली जगह को खोद लाते है यहाँ निर्मित गड्डा कुडा–दान हो जाता है। इसी तरह सार्वजनिक शौचालय के इर्दगिर्द कुडा खुला पडा होता है कुछ कालावधी पश्चात यही कटघरा बना कर कुडेदान में रुपांतरीत होता है। स्थानिय गलिच्छ बस्तियों के मांग पर सिमेंन्ट का पाईप दोनो छोर से खुला हो उसे खड़ा कर कुडेदान की मांग पूर्ण की जाती है तथपश्चात लोहे की पेटी का प्रयोग हूआ, वर्तमान में इन बस्तियों में सुबह से दोपहर तक कचरा गाडी घुमने लगी है।

नागपूर शहर : गलिच्छ बस्तियों में कचरा–घर की सुविधा

तालिका क्र. : ५.२

क्षेत्र	सर्वेक्षित बस्ती	कचराघर उपलब्ध (प्रतिशत मे)
पूर्व	१०	०.००
पश्चिम	११	३६.३६
उत्तर	१२	८.३३
दक्षिण	०६	३३.३३
मध्य	०४	५०.००
समग्र	४३	२०.९३

(स्त्रोत : लेखक द्वारा संकलित)

इन ४३ गलिच्छ बस्तियों में लगभग २१.०० प्रतिशत बस्तियों में कचराघर स्थित है, इन गलिच्छ बस्तियों की स्थिती रेल्वे पटरी के समानातर, नाले के समानातर अथवा शहर के बाहरी छोर पर इनकी संख्या अधिक है। यहाँ के स्थानिक लोग घर का कचरा खुले जगह या नाले में डालते है जिससे इन्होने कचरा–घर की मांग भी नही की हो, केवल २१ प्रतिशत गलिच्छ बस्तियों में कचरा–घर होना अर्थात यहाँ का भौतिकी पर्यावरण पर प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है, क्या यह स्थान मानव के रहने योग्य है ? यदि मजबूरी में लोग यहाँ रहते भी हो तो उनका स्वास्थ स्तर किस स्थिती में है ?

स्थानिय प्रशासन बस्ती के क्षेत्रफल के आधार कचरा–घर की संख्या निर्धारीत करती है। जब की इन गलिच्छ बस्तियों में घरो की संख्या अधिक, जनसंख्या भी अधिक होती है जिससे कुडे का प्रमाण भी अधिक होता है, किन्तु बस्तियों का क्षेत्रफल कम होने से तुलनात्मक दृष्टिकोण से यहाँ कचरा–घर की संख्या कम आकी जाती है।

IMPACT FACTOR 5.473(SJIF)
UPA NATIONAL E-JOURNAL
Interdisciplinary Peer-Reviewed IndexedJournal
ISSN 2455-4375

५.२.(३) प्रकाश : गलिच्छ बस्ती अर्थात अनियोजित घरो का समूह है, जहां आवाजाही ३ से ५ फूट की गल्लियो से होता है। छत की ऊचाई कम, घरो में खिडकीयों का अभाव, घरो में एक ही दरवाजा होना ऐसी स्थिती में यहाँ दिन में भी रात का आभास होता है अर्थात इन बस्तियों में दिन के समय भी रोशनी की आवश्यकता होती है।

आज से लगभग ४०–५० वर्ष पूर्व इन गलिच्छ बस्तियों में घरेलू एंव पथदिप बिजली व्यवस्था नही थी। महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडल के विकास एंव विस्तार कार्य अंतर्गत सर्वप्रथम आबादी वाले बस्ती (वर्तमान में कुछ गलिच्छ बस्ती में रुपांतरीत है)

आलेख क्र. 5.2 नागपूर शहर : गलिच्छ बस्तियो में कचरा–घर सुविधा

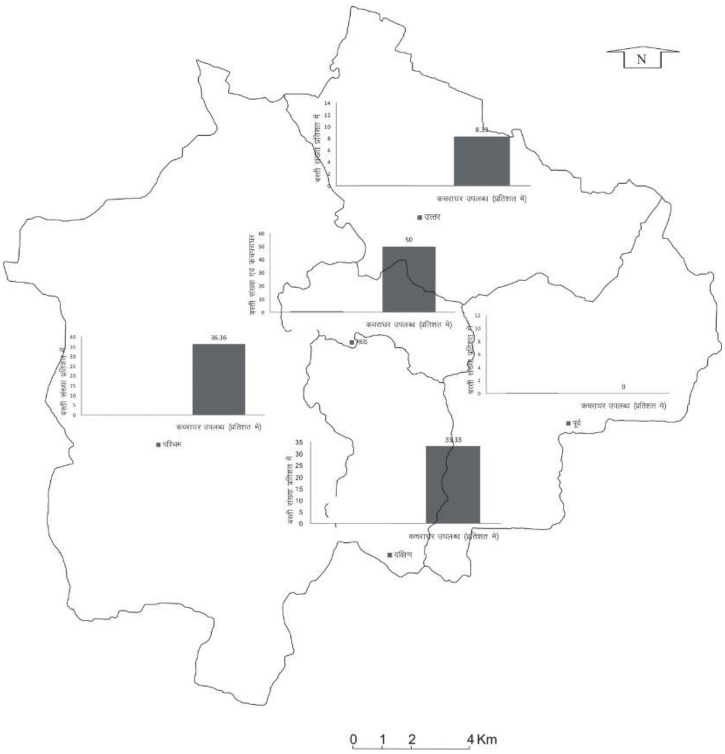

उदा. गड्डीगोदाम, खलासी लाईन, सदर इत्यादी में पथदिप व्यवस्था की गयी तथपश्चात घरेलू बिजली व्यवस्था भी की गयी।

इसी काल में लोगो का आधुनिकिकरण की ओर आकर्षण कम था, केवल चुनिंदा लोगो के घर ही बिजली थी और वह प्रतिष्ठा के प्रतिक बने, समाज में अमिरी की पहचान बिजली बनी।

इसके पूर्व मिट्टी तेल के दिए घर–घर में थे, थोडा अधिक धनी व्यक्ति के घर लैम्प (मिट्टी तेल का दिपक किन्तू काँच की पायली लगी हो) उससे अधिक धनी व्यक्ति के पास गॅसबत्ती हूआ करती थी तथपश्चात लालटेन (कंदिल) का प्रचरन बढ़ा जो घर–घर में दिखने लगा। इस तरह प्राचीन से आधुनिक युग में आर्थिक रुप से दुर्बल व्यक्ति भी बिजली का उपयोग करने का आदि हो चुका है चाहे कानूनी रुप से या गैरकानूनी रुप से बिजली का उपयोग कर रहे है।

नागपूर शहर : गलिच्छ बस्ती में प्रकाश व्यवस्था

तालिका क्र. : ५.३

क्षेत्र	सर्वेक्षित बस्ती	घरेलू बिजली व्यवस्था	पथदिप बिजली व्यवस्था	पथदिप बिजली उपकरण			
				बल्ब	ट्यूब	सोडियम	मरक्यूरी
पूर्व	१०	१००.००	८०.००	—	३७.५१	६२.४९	—
पश्चिम	११	८१.८१	९०.००	—	—	६०.००	४०.००
उत्तर	१२	७५.००	७५.००	११.११	३३.३३	४४.४४	११.११
दक्षिण	०६	८३.३३	१००.००	—	५०.००	५०.००	—
मध्य	०४	१००.००	१००.००	—	२५.००	५०.००	२५.००
समग्र	४३	८६.००	८६.००	२.७०	२७.०३	५४.०५	१६.२२

(आकडे प्रतिशत मे) (स्त्रोत : लेखक द्वारा संकलित)

सभी मान्यता प्राप्त गलिच्छ बस्तियों में घरेलू बिजली व्यवस्था एंव पथदिप व्यवस्था की गयी है। इन ४३ सर्वेक्षित बस्तियों में ८६.०० प्रतिशत बस्तियों में घरेलू एंव पथदिप बिजली सुविधा है शेष १४.०० प्रतिशत बस्तियों में यह सुविधा उपलब्ध नही है।

आलेख क. 5.3 नागपूर शहर : विभागीय गलिच्छ बस्तियों में प्रकाश व्यवस्था

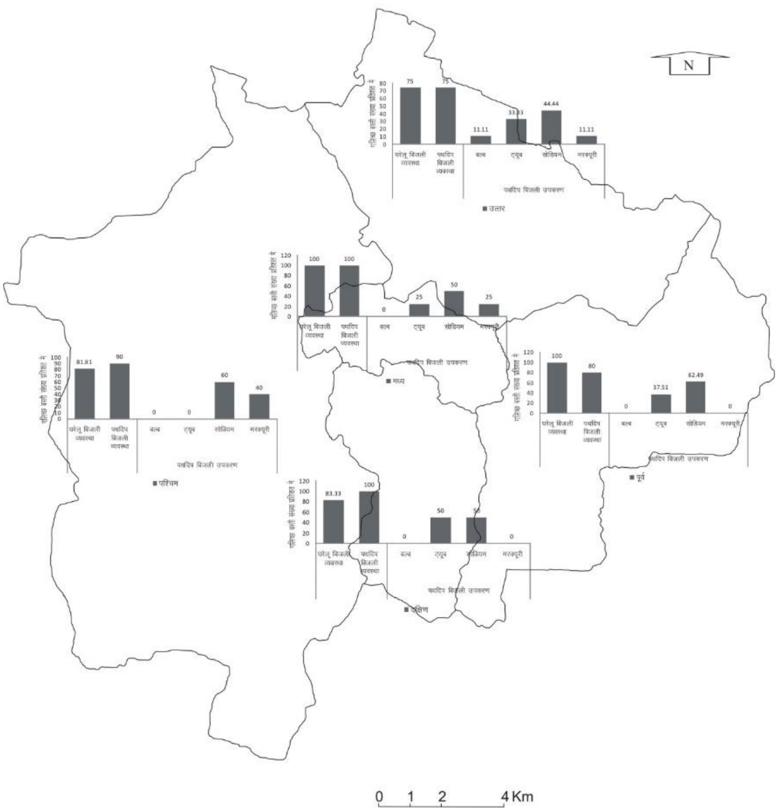

पथदिप बिजली सुविधा क्रमशः सर्वप्रथम बल्ब, ट्युब, सोडियम लैम्प एंव अंत में मरक्यूरी का उपयोग पथदिप के रूप में होने लगा। स्थानिक अपराध की दर को ध्यान में रख, लोगो की चहल—पहल, लोगो की मांग, सामाजिक सांस्कृतिक एंव धार्मिक कार्यो के बढते स्तर को ध्यान रख प्राथमिक स्तर पर लगे बल्ब पहले ट्युब लाईट में रूपांतरीत किये गये, मांग बढते गई बस्ती के मुख्य मार्गो पर दुकाने बढने से मुख्य चौराहे पर सोडियम वेपर लैम्प का उपयोग हूआ और अंत में मरक्युरी का उपयोग कर रोशन बढाने का प्रयास किया गया। वर्तमान में मुख्य चौराहे पर हाय मास्क लाईट भी प्रतित है।

इन विकसित प्रकाश व्यवस्था में सोडियम एंव मरक्युरी का उपयोग अधिकतर मान्यताप्राप्त गलिच्छ बस्तियों में ही है।

५.२.(४) शिक्षा : प्रत्येक व्यक्ति में उसके सफल जीवन के लिये उसमे आधारभूत गुण डाले जाते है, इन आधारभूत गुण स्वीकृती स्थल को हम पाठशाला कहते है। पहले कहॅा जाता था की प्रत्येक विद्वान महानगरपालिका (कॉरपोरेशन) स्कूल से निकला है किन्तू वर्तमान में यह कहावत ठिक नही बैठती। महानगरपालिका की पाठशाला पहले आबादी के क्षेत्रों के आस—पास स्थापित थी विद्मान में है स्थानिक जनसंख्या एंव जाति व्यवस्था के आधार वहॅा कौन—सा माध्यम चलेगा यह तय किया जाता है उदा. सदर में हिन्दी भाषी लोगो की संख्या अधिक होने से महानगर पालिका की हिन्दी माध्यमिक पाठशाला है उसी तरह गड्डीगोदाम में मुस्लिम एंव मराठी भाषीयों की जनसंख्या अधिक होने से यहॉं मराठी एंव ऊर्दू ऐसी अलग—अलग पाठशालाएॅं स्थापित है।

इन स्कूलो का अनूशासन भी सराहनिय था इन्ही स्कूलो को देख अन्य कॉन्हवेन्ट एंव पब्लिक स्कूलो की स्थापना हुई हो, धीरे—धीरे इन स्कूलो की ओर लोगो का आकर्षण कम होने लगा तथा विद्यार्थीयो की संख्या भी कम होने लगी, जिसका परिणाम कई स्कूले बंद करनी पडी। स्कूल की इमारत का व्यक्तिगत उपयोग में लिया गया तो कही समाज मंदिर में रूपांतरित की गई उदा. गड्डीगोदाम स्थित ऊर्दू प्रायमरी पाठशाला स्थानिक गवलीयो के अधिनस्त है।

पिछले २० वर्षो से महानगर पालिका ने नई पाठशाला की निर्मिती गलिच्छ बस्तियों के लिये नही की, जब की लगातार गलिच्छ बस्तियों की संख्या में वृद्धी हो रही है।

नागपूर शहर : गलिच्छ बस्तियों में शिक्षा सुविधा

तालिका क्र. : ५.४

विभागीय क्षेत्र	सर्वेक्षित बस्ती संख्या	बालक मंदिर संख्या	प्राथमिक स्कूलों/ विद्यालयों की संख्या	माध्यमिक स्कूलों/ विद्यालयों की संख्या	उच्च माध्यमिक स्कूलों/ विद्यालयों की संख्या
पूर्व	१०	०२	—	—	—
पश्चिम	११	०३	—	—	—
उत्तर	१२	०१	—	—	—
दक्षिण	०६	०२	—	—	—
मध्य	०४	०४	०१	—	—
समग्र	४३	१४	०१	—	—

(स्त्रोत : लेखक द्वारा संकलित)

इन सर्वेक्षित बस्तियों में ३२.५६ प्रतिशत बस्तियों में बालक मंदिर की सुविधा प्रदान है मात्र मध्य नागपूर में शत प्रतिशत बालक मंदिर प्रतित हुए एंव अति अल्प संख्या में उत्तर नागपूर में ८.३३ प्रतिशत ही यह सुविधा प्रदत्त है जब की सर्वेक्षित बस्तियों में केवल मध्य नागपूर में एक मात्र प्राथमिक शाला प्रतित हुई, माध्यमिक एंव उच्च माध्यमिक शाला की सुविधा इन सर्वेक्षित बस्तियों में नगन्य है।

शहर की उत्पत्ति के पश्चात स्थानिक प्रशासन की ओर से यह सुविधा स्थानिक नागरीको के लिये की गयी थी, जो अभी धीरे—धीरे बंद होने के कगार पर आ पहुचे है।

५.२.(५) मनोरंजन : मानव अपने दैनंदिन कार्य के समाप्ती पश्चात बचे समय में मन एंव तन को प्रफूल्लीक करने के लिये किये गये कार्य को मनोरंजनात्मक कार्य कह सकते है उदा. अखबार पढना खेलना इत्यादि.

व्यक्तिगत मनोरंजन इन गलिच्छ बस्तियों में कम प्रतित है प्रचलित धारावाहीक जब दुरदर्शन पर प्रस्तूत होते है ऐसे में जिस घर में यह उपकरण/यंत्र/मनोरंजन साधन हो वहॉ लोगो का जमाव लगता है । स्थानिक लोगो की क्रय शक्ती कम होने से व्यक्तीगत मनोरंजन का प्रमाण अल्प मात्रा में प्रतित होता है उदा. छोटे बच्चो के खिलौने भी बुजुर्ग लोग बडी उत्साह से खेलने लगते है।

आलेख क्र. 5.4 नागपूर शहर : गलिच्छ बस्तियों में शिक्षा सुविधा

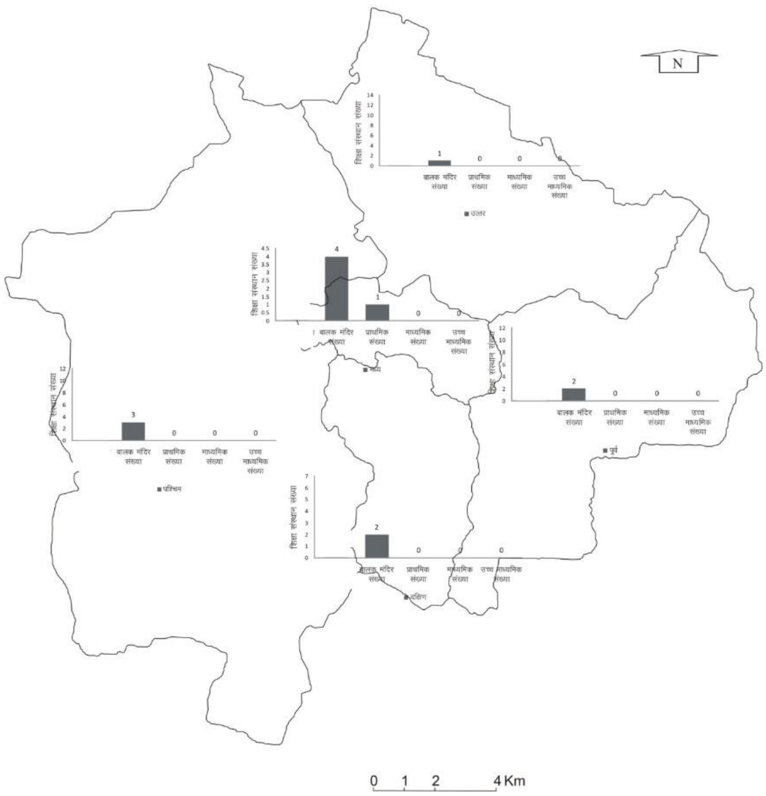

पुर्ववत १९८४ के पूर्व जब दुरदर्शन नागपूर शहर में नही था तब रेडीयो ही एकमात्र साधन था किंतु इन गलिच्छ बस्ती के नागरिको ने अपनी अलग पहचान बनायी थी हाथ में रेडीयो लेकर घुमा करते थे वर्तमान में मोबाईल पर बडा आवाज कर गाने सुनने का लक्षण है।

स्थानिक क्षेत्रों में छोटे बच्चो की घरघूती कामीक्स, बडो के लिये उपन्यास यह सब छोटे पैमाने पर चलता है।

मान्यता प्राप्त गलिच्छ बस्ती जहॉ एक ही धर्म एंव जाति के लोग होते है ऐसे बस्तियों में सार्वजनिक उत्सव के रुप में त्यौहार मनाये जाते है भगवान श्रीकृष्ण जन्म उत्सव पर सामुहिक रुप से मोहल्ले (दो–चार गल्लीयो का समुह) में बास एंव बल्लीयो का झूला लगाया जाता है। सामुहिक गीत गाये जाते है। गणेश उत्सव में एक ही बस्ती में कई गणेश स्थापना कर छोटे–बडे सांस्कृतिक कार्यक्रम लिये जाते किन्तू मुख्य नियंत्रण बस्ती में स्थित मंदिर में स्थापित मुर्ति के अंतर्गत होता है आपस में एक प्रतिस्पर्धा–सी स्थिती निर्मित होती है ऐसे ही उत्सव नव दुर्गा में भी प्रतित है। नव वर्ष के प्रथम रवीवार को सुर्यदेवता को पूजने वाले का धार्मिक उत्सव हमें भानखेडा, खलासी लाईन एंव गड्डीगोदाम में प्रतित हूआ, उसी तरह १४ एप्रिल, बौद्ध पौर्णिमा उत्सव जहॉ बौद्ध धर्मी लोगो की जनसंख्या अधिक है ऐसी गलिच्छ बस्तियाँ इसके अलावा मंडयी शहर के बाहरी क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त बस्तियाँ उदा. नरेन्द्र नगर में जोगी नगर, जुनी मंगलवारी, जुनी शुक्रवारी बस्तियों में प्रतित है।

सार्वजनिक मनोरंजन केन्द्र के रुप में इन गलिच्छ बस्तियों के अतिनिकट पार्क के रुप में एड. सखाराम मेश्राम पार्क मंगल बाजार के पास जो नई बस्ती, गोवा कॉलोनी, गड्डीगोदाम एंव सदर के निकट है स्थानिय बच्चो को इस पार्क की सुविधा महानगर पालिका द्वारा की गयी है उसी तरह पांचपावली स्थित पार्क लष्करीबाग, नवानकाशा, पांचपावली के बस्तियों के लिये सुविधा प्रतित है किन्तु खलासी लाईन स्थित लाला का बगीचा केवल नाम मात्र रह गया बस्ती का नाम भी यही है संपूर्ण बगीचे पर अतिक्रमण कर स्थानिय वासीयो ने घर बनाए है।

नागपूर शहर : गलिच्छ बस्तियों में वाचनालय की सुविधा

तालिका क्र. : ५.५

विभागीय क्षेत्र	सर्वेक्षित बस्ती	वाचनालय (प्रति ात)
पूर्व	१०	१०.००
पश्चिम	११	९.०९
उत्तर	१२	०.००
दक्षिण	०६	३३.३३
मध्य	०४	७५.००
समग्र	४३	१६.२७

(स्त्रोत : लेखक द्वारा संकलित)

इन सर्वेक्षित बस्तियों में मनोरंजन के तौर वाचनालय का प्रमाण अति अल्प अर्थात १६.२७ प्रतिशत है इतनी कम मात्रा में वाचनालय की संख्या स्पष्ट रुप से यही इशारा करती है की, इन क्षेत्रों में साक्षरता का प्रमाण भी इसी रुप में होगा।

यह सभी ०७ वाचनालय मान्यता प्राप्त गलिच्छ बस्तियों में स्थापित है मनोरंजन के साथ लोगो का बौधिक शक्ति का विकास के प्रति स्थानिक लोगो का आकर्षक कम हो या मांग नही की गयी हो। स्थानिक वाचनालय में उपन्यास की संख्या अधिक है जब की पोषण—आहार विषयक, धार्मिकता से संबंधित, स्वास्थ, विज्ञान, खेल विषयक किताबो का अभाव प्रतित है।

५.२.(६) मलमूत्र निकासी : स्वंय स्वार्थ को प्राथमिकता के आधार अतिक्रमण कर घरो के निर्माणीत स्थल या घर समुह को गलिच्छ बस्ती कहते है। अधिकांश गलिच्छ बस्तियाँ नाले के समानांतर एंव रेल के समानांतर स्थापित है ऐसे में मलमूत्र निकासी की आवश्यकता नही होती बस्ती की प्राथमिक अवस्था में जैसे—जैसे बस्ती का विस्तार होने लगता लोग अपनी योग्यता के आधार बंदोबस्त करते ही है। संपूर्ण मान्यता प्राप्त गलिच्छ बस्तियों में मलमूत्र निकासी सुविधा प्रदान है किन्तू ऐसे मान्यता प्राप्त बस्तियों के विस्तारीत क्षेत्रों में यह सुविधा प्रदान नही है।

आलेख क. 5.5 नागपूर शहर : विभागीय गलिच्छ बस्तियों में वाचनालय सुविधा

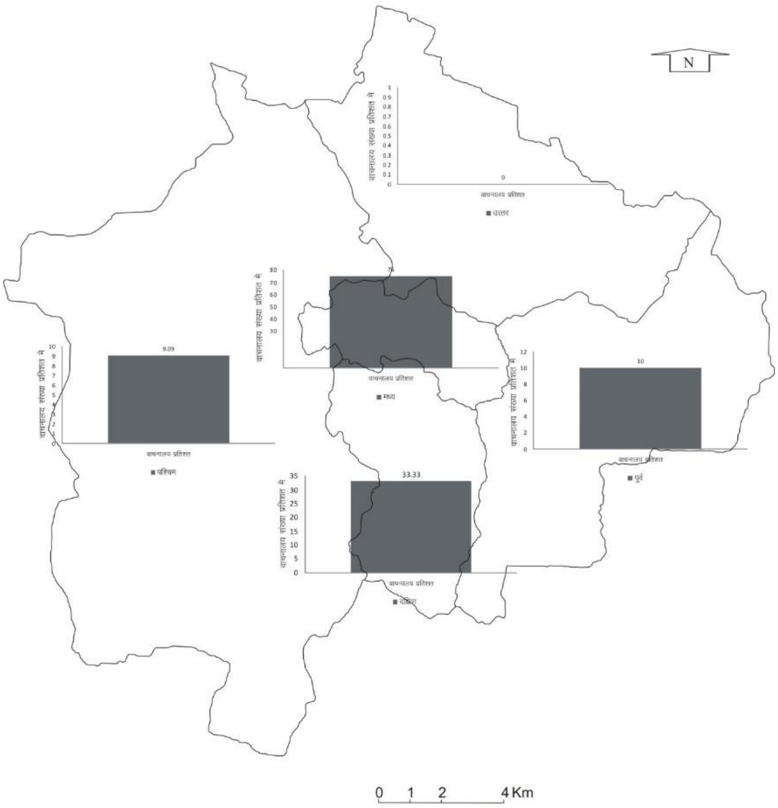

नागपूर शहर : गलिच्छ बस्तियों में मलमूत्र सुविधा

तालिका क्र. : ५.६

विभागीय क्षेत्र	सर्वेक्षित बस्ती	मलमुत्र सूविधायुक्त बस्तियाँ (प्रति ात)
पूर्व	१०	९०.००
पश्चिम	११	६३.६३
उत्तर	१२	५०.००
दक्षिण	०६	८३.३३
मध्य	०४	१००.००
समग्र	४३	७२.०९

(स्त्रोत : लेखक द्वारा संकलित)

इन सर्वेक्षित बस्तियों में ७२.०९ प्रतिशत बस्तियों में मल–मूत्र निकासी सुविधा प्राप्त है यह सुविधा गलिच्छ बस्ती के प्रत्येक क्षेत्र अर्थात संपूर्ण बस्ती में यह सुविधा प्रदान नही है अनियोजितता के कारण मार्ग में बडा व्यवधान या अडचन स्थित है । उपरोक्त सुविधायुक्त बस्तियाँ मान्यता प्राप्त ही है।

५.२.(७) रास्ते : जिस जमीन अंतर्गत मार्ग पर लोगो की नियमित आवाजाही होती हो उसे हम रास्ता कह सकते है, मानव समूह जहॉ घर बनाकर रहता है वहॉ आवाजाही स्वाभाविक रूप से होगी, ऐसे में सार्वजनिक रूप से जिस रास्ते पर आवाजाही सर्वाधिक प्रमाण में हो उसे हम बस्ती का मुख्य मार्ग कह सकते है साथ ही यही मार्ग अन्य बस्तियों से जुडता भी हो। चाहे इस मार्ग का स्वरूप किसी भी स्वरूप (कच्चा/पक्का) में क्यो ना हो।

इन गलिच्छ बस्तियों का मुख्य मार्ग प्रथम बसे लोग ही तय करते है। मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत हमें इन बस्तियों में प्रथम रास्ता ही दिखाई पडता है जिसकी निर्मिती बाहृय पदार्थो से निर्मित होता है उदा. किसी गृह निर्माण से निष्कासीत सामग्री, मिट्टी पत्थर इत्यादी से निर्मित करते है । नवनिर्मित गलिच्छ बस्ती में रास्ते निर्मिती हेतू प्रशासन से गुहार नही करते जब तक विपूल संख्या में घर की निर्मिती हो तथपश्चात स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से मूरम से रास्ता निर्मिती का प्रयास होता है।

UPA
IMPACT FACTOR
5.473(SJIF)
UPA NATIONAL E-JOURNAL
Interdisciplinary Peer-Reviewed IndexedJournal
ISSN
2455-4375

आलेख क. 5.6 नागपूर शहर : गलिच्छ बस्तियों में मलमूत्र सुविधा

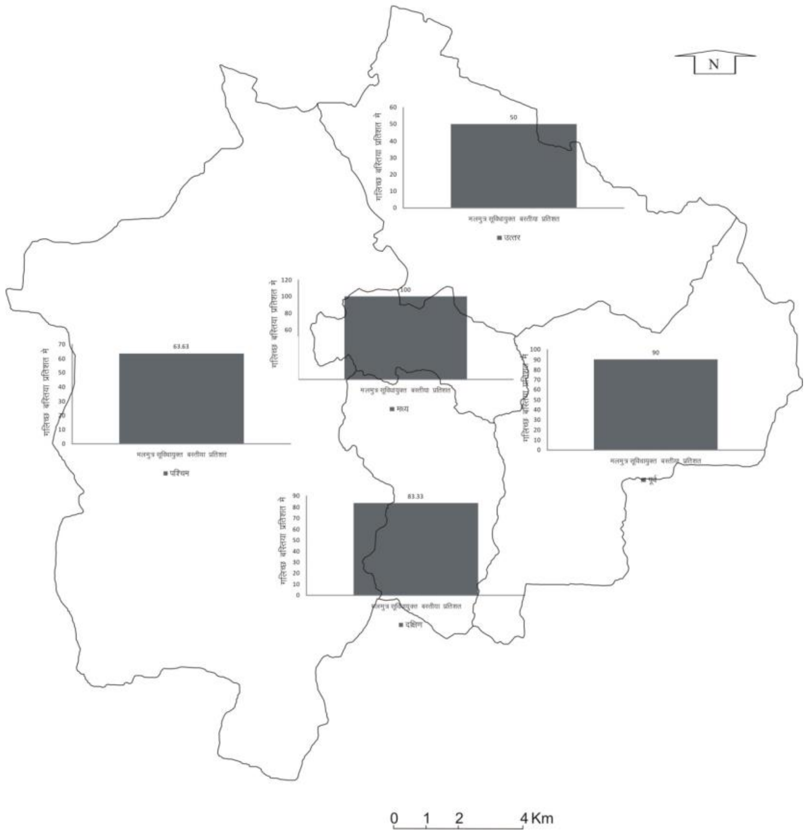

नागपूर शहर : गलिच्छ बस्तियों में रास्ते की सुविधा

तालिका क्र. : ५.७

क्षेत्र	सर्वेक्षित बस्ती	रास्ते है	कच्चे रास्ते	पक्के रास्ते
पूर्व	१०	१००.००	१०.००	९०.००
पश्चिम	११	१००.००	२७.२७	७२.७३
उत्तर	१२	७५.००	११.१२	८८.८८
दक्षिण	०६	१००.००	०.००	१००.००
मध्य	०४	१००.००	७५.००	२५.००
समग्र	४३	९३.०२	१८.६०	८१.४०

(बस्तियों का प्रति ात) (स्त्रोत : लेखक द्वारा संकलित)

इन गलिच्छ बस्तियों में ९३.०२ प्रतिशत बस्तियों में रास्ते है यदि हम इसे कच्चे एंव पक्के रास्ते में वर्गीकृत किया है। ९३.०२ प्रतिशत बस्तियों में रास्तो का अस्तीत्व है तथा ६.९८ प्रतिशत बस्तियों में

रास्ते नदारत है। कच्चे रास्तो की तुलना में पक्के रास्तो का जाल अधिक है केवल १८.६० प्रतिशत बस्तियों में ही कच्चे रास्ते प्रतित है तथा ८१.४० प्रतिशत बस्तियों में पक्के रास्ते निर्मित है यह संपूर्ण पक्के रास्ते मान्यता प्राप्त गलिच्छ बस्तियाँ है इन गलिच्छ बस्तियों में रास्ते के किनारे फूटपाथ नही होती किंतू रास्ते एंव घरो के बिच की जगह सिमेंन्ट से निर्मित पायी जाती है यह विशेषता मान्यता प्राप्त गलिच्छ बस्ती की है।

गलिच्छ बस्ती का विस्तार पूर्ण नही होता जिससे यहाँ के विकास कार्य एंव स्थायी सुविधाओं का कार्य पूर्ण नही हो पाता। इन बस्तियों के रास्तो की मुख्य विशेषता यह होती है की मुख्य रास्ता हो या आंतरिक रास्ता इसे फूटपाथ नही होता, इन रास्तो की चौडाई आमने सामने स्थित घरो के दरवाजे तक होती है साथ ही चौडाई इतनी कम होती है लगभग ४ मीटर से १.५० मीटर चौडे होते है। आंतरिक रास्तो की चौडाई ०.७५ मीटर तक देखी गयी है तो कुछ रास्ते इतने सकरे है की एक समय में एक ओर से ही व्यक्ति जा सकता है।

आंतरिक रास्ते भूल–भूलैया से होते है कब किस ओर रास्ता मुडेगा केवल स्थानिक व्यक्ति को ही जानकारी होती। यदि रास्ता २ मीटर चौडा हो तब भी प्रत्येक घर के सामने चबूतरा अवश्य प्रतित होता है। इन्ही भूल–भूलैया रास्तो का फायदा गैर सामाजिक तत्व लेते है इसी लिये गलिच्छ बस्ती को अपराधी तत्वो का पनागहा कहॉ जाता है।

आलेख क. 5.7 नागपूर शहर : गलिच्छ बस्तियों में रास्ते की सुविधा

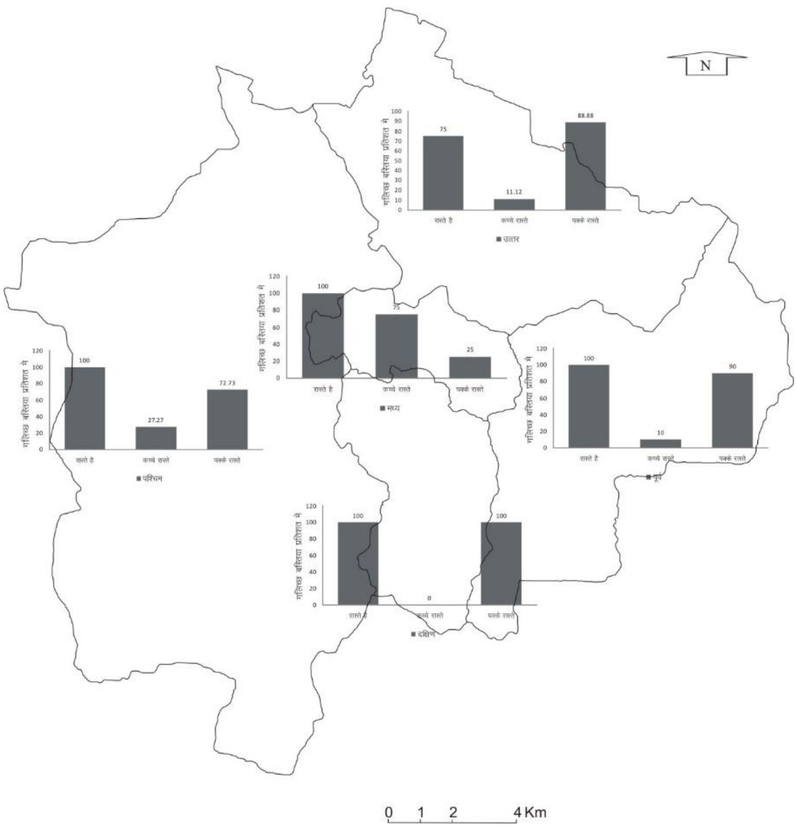

५.२.(८) निरुपयोगी जल निकासी : गृह उपयोग के पश्चात निकले हूए अशुद्ध जल को निरुपयोगी जल कहते है, यह निरुपयोगी जल रसोई से, बर्तन माजने से, कपडे धोने से, मुह–हाथ धोने से, स्नान से एंव घर की साफ–सफाई के बाद निकलता है।

गलिच्छ बस्ती जब प्राथमिक स्थिती में रहती है तब घरो के आस–पडोस की जमीन खूली रहती है एंव विकास कार्य नगन्य होता है कुछ ही घर यहाँ स्थापित होते है जिससे इन घरो का निरुपयोगी जल आस–पडोस में स्थित गड्डो में जमा होने लगता है, कुछ सोख लिया जाता है तो कभी ढाल के अनूसार पानी बहते रहता है कुछ ही कालावधी में यह बस्ती घना रूप लेने लगती है जिससे निरुपयोगी जल की मात्रा भी बढ़ने लगती है ऐसे में कई छोटी–बडी नालियाँ अस्तित्व में आती है यह व्यक्तिगत रुप से कच्ची नाली का स्वरुप होता है।

आपसी नोक–झोक से यह नालियाँ कम भी होती है कुछ लोग व्यक्तिगत सोस गड्डे की निर्मिती करते है गड्डा भरने के पश्चात वही पानी आस–पडोस के क्षेत्रों में फेकते है ऐसी स्थिती नागराज नगर, वैशाली नगर में प्रतित है।

नव स्थापित गलिच्छ बस्ती को प्रशासन से मदत की गुहार लगाने का भय मन में होता है यहाँ नये एंव पूराने लोगो में बडी ऊच–नीच होती है। सामुहिकता के आधार पर बस्ती के बाहरी छोर से नाली बना कर बाहरी ओर इस निरुपयोगी जल का रुख बदला जाता है यही जल खुली जगह में फैलकर डोबन का रुप होता है ऐसी स्थिती गोवा कॉलोनी एंव नई बस्ती के बाहरी छोर पर प्रतित है।

नागपूर शहर : गलिच्छ बस्तियों में निरुपयोगी जल सुविधा

तालिका क्र. : ५.८

विभागीय क्षेत्र	सर्वेक्षित बस्ती	निरुपयोगी जल सुविधा प्राप्त (प्रति ात)
पूर्व	१०	९०.००
पश्चिम	११	२७.२७
उत्तर	१२	५०.००
दक्षिण	०६	६६.६६
मध्य	०४	१००.००
समग्र	४३	६०.४७

(स्त्रोत : लेखक द्वारा संकलित)

आलेख क. 5.8 नागपूर शहर : गलिच्छ बस्तियों में निरुपयोगी जल सुविधा

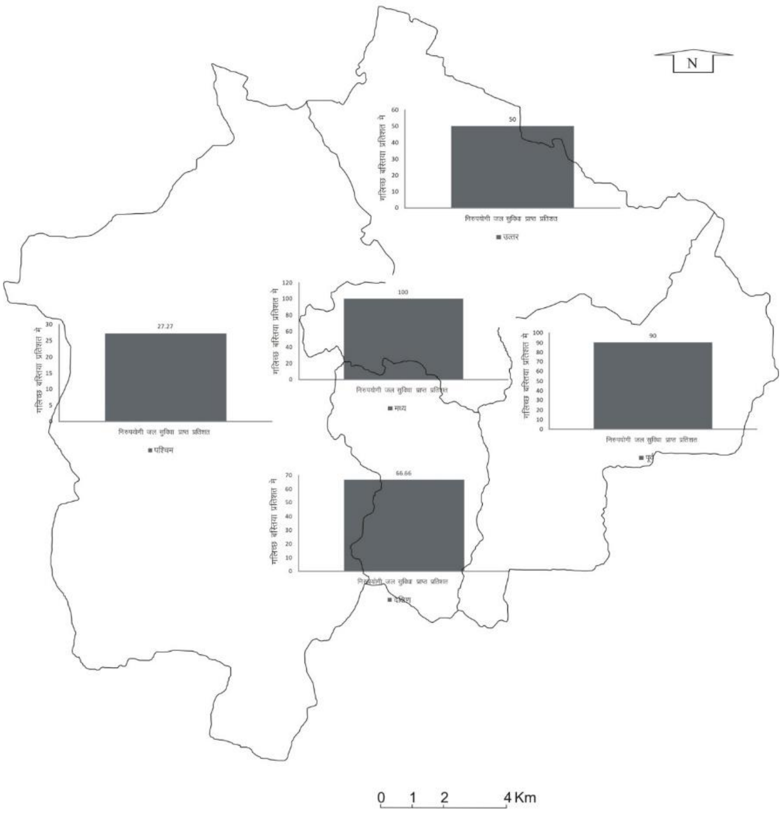

स्थानीय बस्तियों का सर्वेक्षण के दौरान केवल ६०.४७ प्रतिशत बस्तियों में ही स्थायी स्वरुप की सुविधा प्रतित हुई तथा शेष ३९.५३ प्रतिशत बस्तियों में निरुपयोगी जल अपने प्राथमिक एंव द्वितीय स्थिती से झूंज रही है।

हम यह नही कह सकते की जिन बस्तियों में ऐसी सुविधाएँ है वे बस्तियाँ विकसित होगी। बल्की हम ऐसा कह सकते है की वे मान्यता प्राप्त पुरानी बस्ती होगी या आबादी की बस्ती हो सकती है।

५.२.(९) बरसाती जल निकासी : गलिच्छ बस्तियाँ निचले इलाको मे, रेल पटरी के समानांतर तो कभी नाले के समानांतर स्थापित है। निरुपयोगी जल निकासी खूली होती है जिसमे से थोडा बहूत कुडा—कचरा भी प्रवाहित होता है किन्तू जिस नलिका से कचरा प्रवाहित न हो, निरुपयोगी जल नलिका से उच्च स्तर पर हो एंव भूमिगत इस नलिका को बरसाती जल नलिका कहते है। ऐसी नलिका विकास कार्य अंतर्गत आती है जिन गलिच्छ बस्तियों में ऐसी सुविधा है भौतिकी रुप से इन बस्तियों का संपूर्ण विकास हो चूका है ऐसा माना जाता है।

शहर की संपूर्ण निरुपयोगी जल निकासी एंव बरसाती जल निकासी मुख्य नाले से जूडी होती है। गलिच्छ बस्तियों में इन सुविधाओं में मोड अधिक होते है। यदि मुख्य प्रवाह में गति अधिक हो तो उपप्रवाहो का निस्सार अस्वीकृत हो कर उपप्रवाहो में विरुद्ध दिशा में जल प्रवाहित होने लगता है जिससे निचले इलाको में बाढ़ की स्थिती निर्माण होती है ऐसे में बरसाती जल नलिका निरुपयोगी जल नलिका से उच्च स्तर पर होने से मुख्य प्रवाह में निस्सार होते रहता है जिससे निचले क्षेत्रों में बाढ की स्थिती उत्पन्न नही होती।

ऐसी ही स्थिती १९९१ में मुसलाधार वृष्टी से पिली नदी, नाग नदी एंव चंबार नाले के समिस्त क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिती निर्माण हूई थी। स्थानिक प्रशासन ने इन क्षेत्रों को खाली कराया था।

ऐसी ही थोडी अधिक बारीश होने से निचले इलाके में जैसे गड्डीगोदाम, मोमीनपुरा, भानखेडा जैसे क्षेत्रों में बाढ सी स्थिती निर्माण होती है।